गया जंक्शन पर पूर्व मध्य रेल के अपर महाप्रबंधक ने किया रेलवे जनसंवाद

गयाजी। रेलवे बोर्डके दिशा निर्देश पर विशेष अभियान 6.0 के अंतर्गत भारतीय रेल में लगभग 7,000 रेलवे स्टेशनों पर एक साथ 22 अक्टूबर 2026 को व्यापक 'रेल जनसंवाद' कार्यक्रम आयोजित किया गया। इसी क्रम में पंडित दीन दयाल उपाध्याय मंडल में सुनियोजित कार्ययोजना के तहत मंडल के सभी 61 स्टेशनों पर कार्यक्रम का सफल आयोजन सुनिश्चित किया गया। इस दौरान यात्रियों से रेल सुविधाओं, यात्री सेवाओं एवं अन्य संबंधित विषयों पर फीडबैक और सुझाव प्राप्त किए गए। प्राप्त सुझावों एवं फीडबैक को संकलित कर उनका नियमानुसार परीक्षण किया जाएगा तथा आवश्यकतानुसार उचित कार्रवाई की जाएगी।

इसी क्रम में गुरूवार को गया जंक्शन पर पूर्व मध्य रेल के अपर महाप्रबंधक अमरेंद्र कुमार के साथ मंडलके अपर मंडल रेल प्रबंधक सूरज कुमार द्वारा विशेष अभियान 6.0 के अंतर्गत आज रेल जनसंवाद कार्यक्रम के तहत रेल सुविधाओं और सेवाओं को लेकर यात्रियों से संवाद किया गया। इस दौरान मुख्य रोलिंग स्टाक अभियंता/पूर्व मध्य रेल राजेश कुमार, वरीय मंडल यांत्रिक अभियंता नितिन कुमार, मंडल पर्यावरण एवं गृह व्यवस्था प्रबंधक आलोक कुमार आर्य एवं मंडल वाणिज्य प्रबंधक विश्वनाथ सहित अन्य अधिकारीगण उपस्थित रहे। कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य रेल यात्रियों को स्वच्छता, रेलवे परिसर की साफ-सफाई, कचरा प्रबंधन, के बीच संवाद तथा रेलवे स्टेशनों को स्वच्छ एवं सुंदर बनाए रखने के प्रति जागरूक करना और इस दिशा में यात्रियों की सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित करना था। जन संवादके माध्यम से यात्रियों से रेल सेवाओं को लेकर फीडबैक भी प्राप्त किया गया। कार्यक्रमके दौरान रेल यात्रियों से सीधा संवाद स्थापित कर उन्हें रेलवे परिसर में स्वच्छता बनाए रखने, कूड़ा-कचरा निर्धारित डस्टबिन में डालने तथा स्टेशन परिसर को साफ-सुथरा रखनेके लिए प्रेरित किया गया। यात्रियों को यह संदेश दिया गया कि स्वच्छ रेलवे परिसर न केवल यात्रियोंकी सुविधा और स्वास्थ्य के लिए आवश्यक है, बल्कि यह सामूहिक जिम्मेदारी और नागरिक कर्तव्य का भी प्रतीक है। इस पहल का उद्देश्य रेलवे प्रशासन और यात्रियों के बीच बेहतर संवाद स्थापित करना तथा स्वच्छता अभियानको जनभागीदारी के माध्यम से और अधिक प्रभावी बनाना रहा। विशेष अभियान 6.0 के अंतर्गत आयोजित यह जन संवाद कार्यक्रम स्वच्छताके प्रति जागरूकता बढ़ाने, यात्रियों की सहभागिता सुनिश्चित करने तथा भारतीय रेल में स्वच्छ और सकारात्मक वातावरण विकसित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल रहा



सड़क हादसे में बाइक सवार युवक की मौत एक की हालत गंभीर

वजीरगंज/मानपुर (आससे)। गया-राजगीर राष्ट्रीय उच्च मार्ग-82 पर वजीरगंज के खिरियावां मोड़ के पास गुरुवार को अज्ञात वाहन की टक्कर से बाइक सवार रंजीत चौहान (27) की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि लालजीत चौहान (28) गंभीर रूप से घायल हो गए। दोनों मानपुर प्रखंड के जहाना उसरी गांव के निवासी थे। घायल को पुलिस की 112 टीम ने वजीरगंज सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रपहुंचाया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद चिकित्सकोंने मगध मेडिकल अस्पताल गया रेफर कर दिया। दोनों मजदूरी करते थे और नरहट थाना क्षेत्र के भीखमपुरा जा रहे थे। हादसे से आक्रोशित ग्रामीणोंने मुआवजे और वाहन की पहचान की मांगको लेकर सड़क जाम कर दिया।

आक्रोशितों ने घंटों किया सड़क जाम

बीडीओ प्रभाकर सिंह और थानाध्यक्ष नीरज कुमारने ग्रामीणोंको उचित मुआवजे और कानूनी कार्रवाईका भरोसा दिलाया। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। करीब एक घंटे तक आवागमन बाधित रहा। ग्रामीणों ने खिरियावां मोड़ पर स्पीड ब्रेकर बनवाने की मांग की।

दूसरे दिन भी पुलिस की मुस्तैदी के बीच जारी रहा विसर्जन का सिलसिला

गयाजी। शारदीय नवरात्रि संपन्न होनेके बाद भक्तों ने मां दुर्गाकी प्रतिमाओं को ढोलकको थापके साथ जयकारा लगाते हुए पवित्र नदी और सरोवर में विसर्जित कर दिया। मूर्ति विसर्जनका सिलसिला दूसरे दिन भी जारी रहा। श्रद्धालु मां को नाम आंखों से विदाई देकर सुख और समृद्धि की कामना की। इसके बाद महिलाओं ने मां को सिंदूर लगाकर सुहाग रक्षा की कामना की। ढोलक की थाप पर महिलाएं नृत्य कर मैया को रिझाया। जयकारा लगाते हुए विभिन्न पूजा कमेटी के लोग मां दुर्गा के प्रतिमाओंको रुक्मणी तालाब ले गए,जहां देर रात तक मूर्ति विसर्जन करनेका सिलसिला जारी रहा। नौ दिनों तक भक्तगण शक्तिकी भक्तिमें लीन नजर आए। वरीय पुलिस अधीक्षक सुशील कुमारके निर्देशनमें जिले में मूर्ति विसर्जन दूसरे दिन भी शांतिपूर्ण एवं सुरक्षित वातावरण में संपन्न कराने के लिए पुलिस प्रशासन पूरी तरह मुस्तैद है।



इसी क्रम में पुलिस उपाधीक्षक विधि-व्यवस्था, गया द्वारा जिले के विभिन्न मूर्ति विसर्जन स्थलों का निरीक्षण कर सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया जा रहा है।

इस दौरान पुलिस पदाधिकारी विभिन्न विसर्जन स्थलों पर पहुंचकर स्थिति का लगातार आकलनकर रहे हैं, ताकि विसर्जनके दौरान किसी प्रकार की अव्यवस्था उत्पन्न न हो।

अभियुक्त व्यक्ति की हाजिरी की अपेक्षा करने वाली उद्घोषणा

धारा 84 BNSS देखिए

मेरे समक्ष परिवाद किया गया है कि अभियुक्त आरोपी **प्रभात कुमार पुत्रः अवध कुमार सिंह पताः** ग्राम मुल्लाहेड़ा, सेक्टर 22, गुरुग्राम, हरियाणा एवं वार्ड नंबर 14, राजखंड, पीएस ओरल, मुजफ्फरपुर, बिहार **FIR No: 258/2025, U/S: 125(a)/281/106(1) भारतीय न्याय संहिता-2023, पुलिस थानाः कापसहेड़ा, नई दिल्ली** के अधीन दण्डनीय अपराध किया है (या संदेह है कि उसने किया है), और उस पर जारी किए गए गिरफ्तारी के वारण्ट को यह लिख कर लौटा दिया गया है कि उक्त अभियुक्त **प्रभात कुमार,** मिल नही रहा है और मुझे समाधानप्रद रूप से दर्शित कर दिया गया है कि उक्त अभियुक्त **प्रभात कुमार,** फरार हो गया है (या उक्त वारण्ट की तामील से बचने के लिए अपने आप को छिपा रहा है)।

इसलिए इसके द्वारा उद्घोषणा की जाती है कि उक्त अभियुक्त **प्रभात कुमार, FIR No: 258/2025, U/S: 125(a)/281/106(1) भारतीय न्याय संहिता-2023, पुलिस थानाः कापसहेड़ा, नई दिल्ली** से अपेक्षा की जाती है कि वे इस न्यायालय के समक्ष (या मेरे समक्ष) उक्त परिवाद का उत्तर देने के लिए दिनांक **10.12.2026** को या उससे पहले हाजिर हो। **आदेशानुसार**

रोहित कुमार

न्यायिक दण्डाधिकारी, प्रथम श्रेणी-10

DP/14161/SW/2026 **दक्षिण-पश्चिम जिला, कोर्ट नं. 316**

(Court Matter) **द्वारका कोर्ट, नई दिल्ली**

बिहार सरकार

कार्यपालक अभियंता का कार्यालय,

भवन निर्माण विभाग, भवन प्रमंडल, अरवल

अतिअल्पकालीन निविदा आमंत्रण सूचना संख्या-11 वर्ष 2026-27

1. विज्ञापन दाता का नाम एवं पता : कार्यपालक अभियंता, भवन प्रमंडल, अरवल।
2. परिमाण विपत्र बिक्री की तिथि : 27.10.2026 को अपराह्न 1.00 बजे अप0 तक।
3. निविदा जमा करने की तिथि एवं समय : 28.10.2026 को अपराह्न 3.00 बजे अप0 तक।
4. निविदा खोलने की तिथि एवं समय : 28.10.2026 को अपराह्न 3.30 बजे अप0 तक।
5. परिमाण विपत्र बिक्री का स्थान : (क) कार्यपालक अभियंता का कार्यालय भवन प्रमंडल, अरवल। (ख) अधीक्षण अभियंता का कार्यालय भवन अंचल, गया। (ग) सहायक अभियंता-01/02, भवन प्रमंडल, अरवल का कार्यालय।
6. निविदा प्राप्ति का स्थान : क्रमांक-5 के अनुसार।
7. कार्य का विवरण :-

क्र0 सं0	कार्य का नाम	परिमाण विपत्र की राशि (रू0)	अग्रधन की राशि राशि (रू0)	परिमाण विपत्र का मूल्य (O-Grass के माध्यम से)	कार्य पूर्ण करने की अवधि
1	2	3	4	5	6
1	Concertina Coil/wire over the Boundary wall of OBC (+2) Girls Residencial High School arwal (Mali) at Arwal in year 2026-27	8,73,101.00	18,000.00	1250.00	15 दिन

विस्तृत जानकारी **www.state.bihar.gov.in/prdbihar** से प्राप्त की जा सकती है।

PR. No. 014011 (BCD) 2026-27

कार्यपालक अभियंता
भवन प्रमंडल, अरवल

नशे की मार, बर्बाद करे सुखी परिवार।

अतिक्रमण और अवारा पशुओं के खिलाफ नगर निगम का विशेष अभियान

8.19 लाख रुपये वसूला गया जुर्माना

गयाजी। पितृपक्ष मेला एवं दशहरा पर्व के दौरान शहरमें बेहतर यातायात व्यवस्था बनाए रखने, सड़कों को अतिक्रमणमुक्त करने और आवारा पशुओं पर नियंत्रण के लिए गया नगर निगम की ओर से विशेष अभियान चलाया गया। इस अभियान के तहत नगर निगम की टीम ने बीते 3 सितंबर से 21 अक्टूबर तक कार्रवाई करते हुए कुल 8 लाख 19 हजार 600 रुपयेका दंड शुल्क वसूल किया। अभियान के दौरान अतिक्रमण करने वालोंके साथ-साथ सड़कों पर खुले में पशुओं को छोड़ने वाले पशुपालकों के खिलाफ भी कार्रवाई की गई।

नगर निगमकी ओर से इस विशेष अभियान के संचालन के लिए सिटी मैनेजर को नोडल पदाधिकारी बनाया गया था। उनके नेतृत्व में एक विशेष टीम गठित की गई थी, जो लगातार शहरके विभिन्न इलाकों में अभियान चला रही थी। टीमकी ओर से सड़कों और सार्वजनिक स्थलोंपर अतिक्रमण करने वालोंको चिह्नित कर दंड शुल्क वसूला जा रहा था। वहीं, सड़कों पर घूमने वाले आवारा पशुओं को पकड़कर निर्धारित प्रक्रिया के तहत कार्रवाई की जा रही थी।



नगर निगम से प्राप्त आंकड़ों के अनुसार, 3 सितंबर से 21 अक्टूबर तक अतिक्रमण के मामलोंमें कुल 6 लाख 75 हजार 500 रुपयेका दंड शुल्क वसूला गया। वहीं, आवारा पशुओं के खिलाफ चलाए गए अभियान के तहत 1 लाख 44 हजार 100 रुपये की वसूली की गई। इस प्रकार दोनों अभियानों को मिलाकर नगर निगम ने कुल 8 लाख 19 हजार 600 रुपये का दंड शुल्क वसूल किया।

आवारा पशुओं को पकड़कर गोरक्षणी में रखा गया

शहरकी सड़कों पर घूमने वाले आवारा पशुओंको पकड़ने के बाद नगर निगम की ओर से गोरक्षणीमें रखा जाता था। इसके बाद संबंधित पशुपालकों को निर्धारित दंड शुल्क जमा करने पर अपने पशुओं को छुड़ाने की अनुमति दी जाती थी। इस कार्रवाई का उद्देश्य पशुओं को सड़कों पर खुला छोड़ने की प्रवृत्ति पर रोक लगाना और आम लोगों को होने वाली परेशानियों को कम करना था।

सड़कों पर आवारा पशुओं के घूमने से यातायात बाधित होने के साथ दुर्घटनाओं की आशंका भी बनी रहती है। खासकर व्यस्त सड़कों और बाजारों में पशुओं की मौजूदगीसे वाहन चालकों और राहगीरों को परेशानी का सामना करना पड़ता है। ऐसे में नगर निगम की ओर से चलाया गया यह अभियान शहर की यातायात व्यवस्था को बेहतर बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण रहा। पितृपक्ष मेला और दशहरा पर्व के दौरान शहर में आम दिनों की तुलना में अधिक भीड़ रहती है। पितृपक्ष मेले में देश के विभिन्न हिस्सों से बड़ी संख्या में तीर्थयात्री पिंडदान और तर्पणके लिए गयाजी पहुंचते हैं। वहीं, दशहरा पर्व के दौरान बाजारों, प्रमुख सड़कों और पूजा स्थलोंपर लोगोंकी आवाजाही बढ़ जाती है। ऐसे में सड़कों को अतिक्रमणमुक्त रखना और आवारा पशुओं पर नियंत्रण करना नगर निगम के लिए महत्वपूर्ण जिम्मेदारी होती है।

नगर निगम की ओर से चलाए गए इस विशेष अभियान के दौरान अतिक्रमण हटाने के साथ दंड शुल्क की वसूली और आवारा पशुओं को पकड़ने पर जोर दिया गया। 3 सितंबर से 21 अक्टूबर तक की कार्रवाई में कुल 8.19 लाख रुपये का दंड शुल्क वसूला गया। यह विशेष अभियान आगे भी जारी रहेगी।

MAHARAJA LOTTERY

22.10.2026

Draw Time	Coupon Name	Result
08.30	M-One	20
09.00	M-Two	90
09.30	M-Three	46
10.00	M-Four	62
10.30	M-Six	86
11.00	M-Eight	94
11.30	M-Nine	90
12.00	M-Ten	97
12.30	M-Eleven	11
01.00	M-Tweleve	20
01.30	M-Fourteen	75
02.00	M-Fifteen	79
02.30	M-Seventeen	56
03.00	M-Eighteen	28
03.30	M-Nineteen	34
04.00	M-Twenty	92
04.30	M-Twenty-one	64
05.00	Mahajara Twenty	45
05.30	Mahajara Twenty one	63
06.00	Mahajara Twenty	16

Contact Number : 7798391668
www.maharajalottery.com

संगम

Date : 22.10.2026

Draw Time	2nd Pr.No.	Draw Time	2nd Pr.No.
09.00 a.m.	16	02.30 p.m.	14
09.30 a.m.	55	03.00 p.m.	33
10.00 a.m.	30	03.30 p.m.	86
10.30 a.m.	91	04.00 p.m	92
11.00 a.m.	24	04.30 p.m.	39
11.30 a.m.	59	05.00 p.m.	45
12.00 noon	37	05.30 p.m.	40
12.30 a.m.	23	06.00 p.m.	79
01.00 p.m.	63	06.30 p.m.	36
01.30 p.m.	32	07.00 p.m.	
02.00 p.m.	46	Contact for result :	

011-4045 1774, 011-4045 1775

चेतक

09.00 a.m.	05	02.30 p.m.	83
09.30 a.m.	14	03.00 p.m.	44
10.00 a.m.	24	03.30 p.m.	27
10.30 a.m.	89	04.00 p.m.	67
11.00 a.m.	60	04.30 p.m.	88
11.30 a.m.	31	05.00 p.m.	36
12.00 noon	22	05.30 p.m.	36
12.30 a.m.	11	06.00 p.m.	61
01.00 p.m.	52	06.30 p.m.	84
01.30 p.m.	15	07.00 p.m.	
02.00 p.m.	78	Contact for result :	

011-40451770, 011-40451771, 011-40451772

सुपर

09.00 a.m.	49	02.30 p.m.	51
09.30 a.m.	93	03.00 p.m.	17
10.00 a.m.	65	03.30 p.m.	80
10.30 a.m.	63	04.00 p.m.	35
11.00 a.m.	10	04.30 p.m.	85
11.30 a.m.	62	05.00 p.m.	71
12.00 noon	18	05.30 p.m.	92
12.30 a.m.	80	06.00 p.m.	19
01.00 p.m.	40	06.30 p.m.	29
01.30 p.m.	20	07.00 p.m.	
02.00 p.m.	96	Contact for result :	

011-4045 1993, 011-4045 1994

www.playindialottery.com
Contact No. : 09 555 999 608

राजरानी कूपन

Name	Time	2nd Pr.No.	Name	Time	2nd Pr.No.
PAHLA DAO	8.30 a.m.	93	MILLENNIUM	2.00 p.m.	64
SUBEHA	9.00 a.m.	96	100	2.30 p.m.	39
KIRAN	9.30 a.m.	32	DIAMOND	3.00 p.m.	61
HINDUSTANI	10.00 a.m.	42	SONA	3.30 p.m.	62
PRABHAT	10.30 a.m.	24	EXPRESS	4.00 p.m.	15
LAJBAB	11.00 a.m.	19	SPECIAL	4.30 p.m.	20
SAMRAT	11.30 a.m.	31	SANDHYA	5.00 p.m.	49
DELUX	12.00 noon	00	CHANDANI	5.30 p.m.	33
AFTERNOON	12.30 a.m.	06	SHAM	6.00 p.m.	94
KING	1.00 p.m.	64	EVENING	6.30 p.m.	13
ROYAL	1.30 p.m.	78	Check result with official website/Gzt.		

Cont. for result : 011-40451995
020-27413666, 020-27414666
www.playrajarani.com

राजश्री

Date : 22.10.2026

Time	Pr. No.	Time	Pr.No.
09.00 a.m.	93	02.00 p.m.	50
09.30 a.m.	25	02.30 p.m.	92
10.00 a.m.	47	03.00 p.m.	22
10.30 a.m.	08	03.30 p.m.	18
11.00 a.m.	92	04.00 p.m.	09
11.30 a.m.	61	04.30 p.m.	41
12.00 noon	16	05.00 p.m.	65
12.30 p.m.	69	05.30 p.m.	64
01.00 p.m.	23	06.00 p.m.	28
01.30 p.m.	37	06.30 p.m.	57

Contact for result :
011-40451992, 020-27416009
www.playrajshree.com

ऑनलाइन कैसीनो खेलिए
www.playindiagame.com
Contact No. : 09555999608

बिहार सरकार

गन्ना उद्योग विभाग

प्रेस विज्ञप्ति

श्री मनीष कुमार, कार्यालय परिचारी, कार्यालय-सहायक निदेशक, ईख विकास, दरभंगा सम्प्रति प्रतिनियुक्त, सचिव कोषांग, गन्ना उद्योग विभाग द्वारा अपनी पत्नी का ईलाज राज्य से बाहर दिल्ली में कराने हेतु दिनांक-13.06.2026 से 05.08.2026 तक कुल-54 दिनों का उपार्जित अवकाश की स्वीकृति संबंधी आवेदन समर्पित किया गया था, परन्तु अवकाश अवधि समाप्ति की तिथि-05.08.2026 के उपरांत भी अपने प्रतिनियुक्त कार्यालय में उपस्थित नहीं हुए और न ही इस संबंध में किसी प्रकार की सूचना दी गई है। कार्यालय द्वारा उनके मोबाइल पर भी सम्पर्क करने का प्रयास किया गया, परन्तु सम्पर्क नहीं हो पा रहा है।

अतः इस प्रेस विज्ञप्ति के माध्यम से श्री कुमार को निदेश दिया जाता है कि 15 दिनों के अंदर गन्ना उद्योग विभाग में उपस्थित होना सुनिश्चित करें अन्यथा नियमानुसार अनुशासनिक कार्रवाई की जायेगी।

उक्त सूचना **www.state.bihar.gov.in/prdbihar** पर भी देखी जा सकती है।

(धीरेन्द्र कुमार)
उप सचिव

PR. No. 014085 (SUGARCANE) 2026-27

नशामुक्त हो जाए बिहार, सुरक्षित रहे घर परिवार।

मां दुर्गा की प्रतिमाओं का हुआ विसर्जन

शेरघाटी (आससे)। कड़ी सुरक्षा व्यवस्था और भक्तिमय माहौलके बीच बुधवारको मां दुर्गा की प्रतिमाओंके विसर्जनके साथ शेरघाटी प्रखंड क्षेत्रमें शारदीय नवरात्र एवं रावण वध समारोह का शांतिपूर्ण समापन हो गया। नौ दिनों तक मां की आराधनामें लीन रहे श्रद्धालुओं ने नम आंखों से मां दुर्गा को विदाई दी। जय माता दी के जयघोष और भक्ति गीतों के बीच प्रतिमाओं का विसर्जन किया गया। शहर के पिपरपाती, लीपगंज, चटी हटिया, दरबार हाउस, कुंजगली और ब्लाक परिसर सहित विभिन्न स्थानों पर मां दुर्गा की प्रतिमाएं स्थापित की गई थीं। नौ दिनों तक चले पूजा-अर्चना, भजन-कीर्तन और सांस्कृतिक कार्यक्रमों से पूरा शहर भक्तिमय बना रहा। विसर्जन यात्रा के दौरान मां के अंतिम दर्शन के लिए सड़कों और मार्गों पर श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ पड़ी। विसर्जन के दौरान विधि-व्यवस्था बनाए रखने के लिए प्रशासन की ओर से सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए गए थे। अनुमंडल पदाधिकारी आईएएस जतिन कुमार और सहायक पुलिस अधीक्षक संदीप कुमार देर रात तक विभिन्न स्थानों पर पहुंचकर सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लेते रहे। प्रशासनिक अधिकारियों की सक्रियता के बीच विसर्जन का कार्यक्रम शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हुआ।



इस वर्ष विभिन्न पूजा समितियों की ओरसे अलग-अलग आकर्षक थीम पर आधारित भव्य पंडाल बनाए गए थे। तीन शिवालय मंदिर परिसर में आयोजित तीन दिवसीय झांकी भी नगरवासियों के आकर्षण का प्रमुख केंद्र रही। मेले में खरीदारी के साथ लोगोंने चाट, चाउमीन, मसाला डोसा, मोमोज, पावभाजी और गोलगप्पे सहित विभिन्न व्यंजनों का लुत्फ उठाया।

हत्या कांड में संलिप्त अभियुक्त गिरफ्तार

गयाजी। डेल्हा थानाको 4 अक्टूबरको सूचना मिली कि महादेव स्थान स्थित अंदर बैरागी के पास में एक व्यक्ति की गोली मारकर हत्या कर दी गई है। प्राप्त सूचना से वरीय पुलिस अधीक्षक, गया को अवगत कराते हुए सूचना के सत्यापन एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु नगर पुलिस अधीक्षक, गया, पुलिस उपाधीक्षक नगर-2, गया एवं थानाध्यक्ष, डेल्हा थाना द्वारा तत्काल घटनास्थल पर पहुंचकर निरीक्षण किया गया। वरीय पुलिस अधीक्षक, गया के द्वारा इस कांडके त्वरित उमेदन हेतु नगर पुलिस अधीक्षक, गया के मार्गदर्शन में पुलिस उपाधीक्षक नगर-2, गया के नेतृत्व में एक विशेष टीम का गठन किया गया। जिसमें थानाध्यक्ष डेल्हा थाना एवं डेल्हा थानाके अन्य पुलिस पदाधिकारी,कर्मी तथा तकनीकी शाखा के पुलिस पदाधिकारी,कर्मी को शामिल किया गया। गठित विशेष टीम द्वारा तकनीकी अनुसंधान, आसूचना संकलन एवं त्वरित कार्रवाई करते हुए इस कांड में संलिप्त 01 अभियुक्त प्रमोद चौधरी, पे. स्व. राजु चौधरी, सा. अंदर बैरागी, थाना डेल्हा जिला गया को उसके ससुराल मुफस्सिल थाना अंतर्गत बदरा सा. से गिरफ्तार कर अग्रतर कार्रवाई की जा रही है। विदित हो कि पूर्व में इस कांड संलिप्त एक अभियुक्त को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासतमें भेजा गया है एवं एक विधि विरूद्ध बालक को निरूद्ध किया गया है। अन्य अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु छापामारी जारी है।

बिहार सरकार

कार्यालय नगर पंचायत, सिकन्दरा (जमुई)

अल्पकालीन निविदा आमंत्रण सूचना 01/2026-27

(ई-टेंडरिंग, द्वारा) (www.eproc.bihar.gov.in)

1. विज्ञापनदाता का नाम एवं पता :- नगर कार्यपालक पदाधिकारी, नगर पंचायत सिकन्दरा, जमुई।
2. निविदा आमंत्रण सूचना निर्गत की तिथि :- 16.10.2026
3. टेंडर कागजात डाउनलोड करने की अवधि :- दिनांक 31.10.2026 के 10:00 बजे से दिनांक 2011.2026 के 03:00 बजे तक।
4. संवेदक द्वारा निविदा अपलोड करने की अन्तिम तिथि/समय :- दिनांक 21.11.2026 के 15:00 बजे तक (on website : www.eproc.bihar.gov.in)
5. प्रीबिड मिटिंग की तिथि/समय :- दिनांक 02.11.2026 के 11:00 बजे को स्थान कार्यपालक पदाधिकारी नगर पंचायत सिकन्दरा, जमुई।
6. तकनीकी बीड खोलने की तिथि/समय :- दिनांक 23.11.2026 के 15:30 बजे। (on website : www.eproc.bihar.gov.in)
7. वित्तीय बीड खोलने की तिथि/समय :- दिनांक 28.11.2026 के 15:30 बजे। (on website : www.eproc.bihar.gov.in)
8. अग्रधन, सभी शपथ पत्र Existing Comittment (मूल में) एवं परिमाण विपत्र को मूल्य का बैंक ड्राफट जमा करने की अंतिम तिथि/समय एवं स्थान दिनांक 24.11.2026 के 15:00 बजे तक स्थान :- (1) कार्यपालक पदाधिकारी, नगर पंचायत सिकन्दरा का कार्यालय। (2) कार्यपालक अभियंता, जिला शहरी विकास अभिकरण, जमुई। (3) अधीक्षण अभियंता, बिहार शहरी विकास अभिकरण नगर विकास एवं आवास विभाग, विकास भवन नया सचिवालय, बिहार, पटना का कार्यालय।
9. कार्य का विवरण :-

राज्य योजना के अन्तर्गत ली गयी योजना

कमांक	कार्य का नाम	प्राक्कलित राशि (लाख रु0 में)	अग्रधन की राशि (लाख रु0 में)	परिमाण विपत्र का मूल्य (अप्रर्त्यपणीय) (रु0 में)	Bid Processing Fee (through online payment) (अप्रर्त्यपणीय) (रु0 में)	कार्य समाप्ति की अवधि (इन्क्लूडिंग मॉनसून अवधि माह में)
1	2	3	4	5	6	7
1	राज्य योजना मद से नगर पंचायत सिकन्दरा क्षेत्रान्तर्गत सम्राट अशोक भवन निर्माण कार्य	165.72243	3.32	10000/-	as per eproc	12 माह

NOTE - Bidders should submit Bid Processing Fee through on line payment as per amount generated on website www.eproc.bihar.gov.in

10. निविदा की वैधता अवधि :- 120 दिन

12. विस्तृत निविदा आमंत्रण सूचना विभागीय बेबसाईट **www.eproc.bihar.gov.in** अथवा **www.state.bihar.gov.in/prdbihar** मे देखा जा सकता है।

नगर कार्यपालक पदाधिकारी
नगर पंचायत सिकन्दरा, जमुई

PR- 014040 (B & C) 2026-27

नशे से बचने का है एक ही उपचार, दृढ़ संकल्प और परिवार से प्यार।

बिहार सरकार

वरीय पुलिस अधीक्षक का कार्यालय, सारण

(अल्पकालीन निविदा आमंत्रण)

सोनपुर मेला वर्ष-2026 के अवसर पर अस्थाई नवसृजित, पुलिस लाईन कैम्प, पुलिस थाना, पुलिस अधीक्षक कैम्प एवं पुलिस पदाधिकारी/पुलिस कर्मियों के आवासन व्यवस्था हेतु **सोनपुर मेला दिनांक- 22.11.2026 से प्रारम्भ होकर, दिनांक 23.12.2026 अर्थात 32 दिनों (सम्पूर्ण मेला अवधि)** के लिए भाड़े पर टेन्ट, पंडाल, लाईट, साउण्ड एवं अन्य आवश्यक सामग्रियों को समय पर उपलब्ध कराने एवं निर्धारित स्थानों पर लगाने हेतु एक मुश्त दर से प्रति सामान का भाड़ा हेतु पंजीकृत सेवा प्रदायी संस्थानों/फार्मो से निविदा आमंत्रित की जाती है, जो निम्न प्रकार हैं :-

01. कुछ अस्थाई थानों में तीन दिनों के लिए उपरोक्त सामानों की आवश्यकता होगी। उसके लिए सामानुपातिक दर से अथवा तीन दिनों की दर से निविदा में अंकित करेंगें।
02. पंजीकृत निविदादाता का ही निविदाए मान्य होगी। अतः निर्धारित तिथि एवं समय पर दर प्रमाण पत्र के साथ उपस्थित रहेंगें।
03. निविदा स्वीकृत करने के पूर्ण अधिकार सोनपुर मेला समिति को हैं तथा अंतिम अधिकार वरीय पुलिस अधीक्षक, सारण के पास सुरक्षित हैं।
04. निविदादाताओं को निविदा के साथ प्रतिभुति मूल रूप से राशि 1,00,000/-(एक लाख रूपये) मात्र का बैंक ड्राफ्ट वरीय पुलिस अधीक्षक, सारण के पदनाम से देना होगा।
05. निविदादाता को निविदा के साथ जी0एस0टी0 पंजीयन प्रमाण पत्र/काली सूची में दर्ज नहीं होने का शपथ पत्र/पैन कार्ड/विगत 03 वर्षो (वितिय वर्ष-2023-24, 2024-25 एवं 2025-2026 का आयकर रिर्टन)/03 वर्ष का Audited accounts statement की प्रति निविदादाता को संलग्न करना अनिवार्य होगा अन्यथा निविदा अस्वीकृत कर दी जाएगी।
06. अद्यतन GST रिर्टन GST R3B की स्वअभिप्रमाणित प्रति संलग्न करना आनिवार्य होगा तथा वितिय वर्ष 2025-26 में कम से कम 15 लाख रूपये GST जमा करने का साक्ष्य प्रस्तुत करना होगा।
07. निविदा में सक्षम संस्थानों/फर्मो की ही वित्तीय निविदा खोली जाएगी।
07. आमंत्रित निविदा में पाये गये न्यूनतम दर पर किसी भी एजेन्सी से कार्य कराने का निर्णय वरीय पुलिस अधीक्षक, सारण द्वारा लिया जा सकता है।
08. विद्युत कार्य हेतु प्रयोग में लाये जाने वाले isi Mark तार की गुणवता होनी चाहिए। किसी भी परिस्थिति में नंगे तार एवं असुरक्षित विद्युत उपकरण/सामग्री का उपयोग नहीं किया जाएगा, अन्यथा किसी भी दुर्घटना के लिए संबंधित प्रतिष्ठान पूर्णरूपेण जिम्मेवार होंगें।
09. विद्युत कार्य हेतु संवेदक को कार्य स्थल पर आवश्यकता के अनुरूप 24 घंटे अनुज्ञप्तिधारी बिजली मिस्त्री/टेक्निशियन एवं अतिरिक्त विद्युत सामग्रियों की व्यवस्था रखनी होगी।
10. इस कार्य के लिए किसी प्रकार का अग्रिम राशि देय नहीं होगा।
11. किसी भी निविदा को स्वीकृत करने एवं बिना कारण बताये रद्द करने का अधिकार अधोहस्ताक्षरी को पूर्णरूपेण सुरक्षित रहेगा। मेला या इस प्रकार के बड़े आयोजन का कार्य अनुभव रखने वाले निविदादाता को वरियता दी जाएगी।
12. कार्यदेश के अनुरूप कार्य नहीं करने के स्थिति में अंतिम भुगतान से अनुपातिक राशि की कटौती कर ली जाएगी। गुणवता के स्तर में कमी होने पर दण्ड स्वरूप यथोचित कार्रवाई की जाएगी और वरीय पुलिस अधीक्षक का निर्णय अंतिम निर्णय होगा।
13. अनुमोदित निविदादाता को समय पर आवश्यकतानुसार सभी कार्य करना होगा अन्यथा उनके विरूद्व नियमानुकूल कार्रवाई की जाएगी।
14. दरबारी टेन्ट, ए0सी0 टेन्ट, कनात/पंडाल आदि पूर्णतः सुसज्जित सुन्दर तथा अच्छे एवं नई किस्म के होने चाहिए। गुणवता खराब होने पर अधिष्ठापन की अनुमति नहीं दी जाएगी।
15. आपूर्ति की जाने वाली सभी सामग्रियों साफ-सुथरा अच्छी किस्म एवं नई होनी चाहिए।
16. सोनपुर मेला के कार्यो से संबंधित विपत्र एवं लगाये गये सामग्रियों/कार्यो के गुणवत्ता के संदर्भ में सोनपुर मेला समिति द्वारा सर्मपित प्रतिवेदन के आधार पर किया जाएगा।
17. स्वीकृत संवेदक को निर्धारित तिथि-**18.11.2026** तक सभी कार्य पूर्ण कर देना होगा संवेदक को मेला समाप्ति के पश्चात शिविर में लगाये गये सभी उपकरण एवं सामग्रियों को अपने लागत दर पर वापस लेना होगा तथा पुरे परिसर को पूर्ववतः बहाल करना होगा।
18. निविदा मोहर बंद लिफाफे में पुलिस केन्द्र, सारण के कार्यालय में जमा करने हेतु **दिनांक-02.11.2026 को समय-16:00** बजे तक अंतिम तिथि निर्धारित की जाती है। **दिनांक-03.11.2026 को समय-15:00** बजे निविदा उपलब्ध निविदादाता एवं समिति के सदस्यों के समक्ष खोली जाएगी।
19. निविदा-(परिशिष्ट-'क') मूल सूची सारण पुलिस के सोशल मिडिया पेज एवं जिला के वेबसाईट पर अंकित की जायेगी।

PR- 014083 (Police) 2026-27 **वरीय पुलिस अधीक्षक, सारण**

नशे से बचने का है एक ही उपचार, दृढ़ संकल्प और परिवार से प्यार।